न्यायालय सहायक कलक्टर बाप, जिला जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
सायबदीन पुत्र इमामदीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला जोधपुर		1. तहसीलदार बाप

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
जस्व प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.

ा नम्बर :– 98/2018

त अधिवक्ता :–
श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी वादीगण एवं अप्रार्थी
पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप प्रार्थी एवं प्रतिवादी

दिनांक :– 13/03/2020

निर्णय

वादीगण के वाद का सार संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि वादीगण की खातेदारी की नंबर 347 कुल रकबा 1288.11 बीघा में से 150.00 बीघा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार हद मौजा नुरे की भुर्ज पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि टलमेंट और सेटलमेंट से पहले से ही वादीगण के पूर्वजो का कब्जा काश्त था। सेटलमेंट वादीगण के पूर्वज मजदूरी करने हेतु बाहर गांव चले गये थे इसलिए खसरा नंबर 347 बा 1288.11 बीघा में से 150 बीघा भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उनके नाम राजस्व दर्ज नहीं कर राजकीय भूमि दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि पर वादीगण के पूर्वजों का काश्त पीढियों से चला आ रहा था उन्होनें अपने जीवन काल में ही उक्त भूमि पर ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बनाये थे। उक्त भूमि पर वादीगण का काश्त आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक चला आ रहा है वादीगण ने उक्त भूमि का जरी नक्शा अनुसार चारों और खुंटे रोप कर तारबंदी की हुई है। वादीगण उक्त भूमि न नजरी नक्शा अनुसार अपनी खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है जिसका पेश है।

ादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने उक्त वाद में प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 धारा 151 सी.पी.सी का पेश किया जो शामिल किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार पत्र में बताया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद सरकारी भूमि पर खातेदारी देने हेतु या है। जिसमें वादीगण को हर वर्ष समय–समय पर सरकारी भूमि से बेदखल किया है गण का कभी भी विवादग्रस्त भूमि पर लगातार कई वर्षो तक कब्जा काश्त नहीं रहने त भूमि पर वादीगण खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं कर सकता है। उपरोक्त वाद प्रस्तुत वादीगण को वाद करण ही पैदा नहीं होने से तथा सरकारी भूमि की खातेदारी की पूर्व वादीगण द्वारा कभी भी 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया है जिसके अभाव में का वाद चलने योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित कथनों से तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया वाद हीं होने से तथा वाद कारण पैदा नहीं होने के अभाव में तथा 80 सी.पी.सी. के नोटिस

र
ाज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manaveer Singh
Date: 2020.06.09 14:05:10 IST
Reason: SelfAttested
Location:

व में वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। वकील वादीगण ने पत्र का जवाब पेश न कर सीधे बहस की गई।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जात का अवलोकन किया गया। अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी ययन किया गया। बाद मनन अवलोकन व चिन्तन के पाया गया कि वादीगण द्वारा य सिवाय चक भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर उसके आधार पर घोषणात्मक वाद किया है। प्रार्थी तहसीलदार बाप ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया है कि अप्रार्थी (वादीगण) नी है तथा वादीगण अतिक्रमण के आधार पर सरकारी भूमि को हड़पना चाहता है जो कि है। अप्रार्थी का वाद जरिये उक्त प्रार्थना पत्र के खारिज फरमाया जावे। प्रस्तुत वाद में प्रकार का अनुतोष प्राप्ति हेतु कोई सारवान तथ्य व दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इस य के विनम्र मत में सरकारी भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों षणा कर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना उचित नहीं है। इस संबंध में य उच्चतर न्यायालयों द्वारा भी समय समय पर किये गये निर्णयों के अनुसार यह सिद्वान्त देत किया गया है कि सिर्फ एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिया चाहिए। न्यायालय द्वारा धारा 151 सीपीसी के तहत इस प्रकार के प्रयोग, खर्चो तथा अनेक ों के परिचालन से होने वाले समय के लिये तुच्छ प्रवृति के वादों को प्रारम्भिक स्तर पर को खारिज किया जाना उचित है। ताकि न्यायालय का महत्वपूर्ण समय भी बचाया जा उक्त प्रकरण में वाद हेतुक ही प्रकट नहीं हुआ तथा वादी द्वारा धारा 80 सी.पी.सी. के के अभाव में तथा वाद के संलग्न प्रस्तुत 80 सी.पी.सी. के नोटिस की छूट का यथोपित स्तावेजी दस्तावेज के अभाव में बिनाय वाद पैदा ही नहीं हुआ हो ऐसे वाद को स्वीकार या जा सकता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है ादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी के मध्यनजर रखते हुए खारिज किया जाता

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। पत्रावाली फैसल शुमार नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे ईजलास आज दिनांक 13/3/2020 को सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सहायक कलक्टर
बाप (बाप जोधपुर) राज.